संख्या 278 /उन्तीस(2)/10–2(122पे0)/2009

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 04 मार्च, 2011

विषय :– राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग एवं चमोली की पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 214/उन्तीस(2)/10–2(122पे0)/2009 दिनांक 22.03.2010 के क्रम में आपके पत्र संख्या 4161/वि0अनु0/02/अनुदान/2010–11 दिनांक 01.11.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग एवं चमोली की निम्नलिखित पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि रू0 86.76 लाख (रूपये छियासी लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
01	02	03	04	05
01	सुमेरपुर–रूद्रप्रयाग	97.69	53.12	44.57
02	सिमली–कर्णप्रयाग	95.31	53.12	42.19
	योग :–	**193.00**	**106.24**	**86.76**

2. स्वीकृत धनराशि के विपरित कार्य के लिए टैण्डर के उपरान्त न्यूनतम लागत के विपरित देय अवशेष धनराशि का ही आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय। धनराशि का आहरण कर उसे पी0एल0ए0 में रखा जायेगा तथा वास्तविक आवश्यकतानुसार ही पी0एल0ए0 से धनराशि आहरण कर व्यय की जायेगी।

3. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

.....2

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये आदेशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. योजना को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकार नही होगा।

12. उक्त योजना के कार्य में अधिप्राप्ति (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008) तथा इसके विषय में शासन द्वारा समय–समय पर आदेशों का अनुपालन के अन्तर्गत कराया जाय।

13. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम–03–ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।

15 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–627/XXVII (2)/10 दिनांक 01 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ0सं0 278 (i) /उन्तीस(2)/10–2(122पे0)/2009 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....3

2. मण्डलायुक्त गढ़वाल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव